रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2008/चैत्र 6, 1930
No. 108] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2008/CHAITRA 6, 1930

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2008

सं. आर.एस. 46/2005-टी.—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अधीन दिया गया राज्य सभा के सभापति का दिनांक 26 मार्च, 2008 का निम्नलिखित निर्णय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :–

राज्य सभा की सदस्य श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 और राज्य सभा के सदस्य (दल बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 6 के अधीन राज्य सभा के तत्कालीन सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत के समक्ष दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को एक याचिका दायर की थी जिसमें राज्य सभा के सभापति से प्रार्थना की गई थी कि वह यह निर्णय लें कि राज्य सभा के सदस्य श्री जय नारायण प्रसाद निषाद भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हत हो गए हैं और वह राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त भी घोषित करें ।

2. तत्कालीन सभापति ने उक्त नियमों के नियम 7(3) के अधीन याचिका एवं उसके उपाबंधों की प्रतियां श्री जय नारायण प्रसाद निषाद और भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री जसवन्त सिंह को 5 जनवरी, 2006 को प्रेषित की थीं और उनसे इनकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था ।

3. श्री जसवन्त सिंह ने 9 जनवरी, 2006 की अपनी टिप्पणियों में याची के दावे से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि श्री जय नारायण प्रसाद निषाद राज्य सभा के लिए बिहार राज्य से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने स्वेच्छा से इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । यदि उन्होंने पार्टी से औपचारिक रूप से त्यागपत्र न भी दिया होता, तो भी पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने संबंधी उनका आचरण ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग दी है और इसलिए उन्हें निरर्हित किया जाना अपेक्षित है ।

4. श्री जय नारायण प्रसाद निषाद ने दिनांक 12 जनवरी, 2006 की अपनी टिप्पणियों में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया । अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने कहा कि मैंने 18 अक्तूबर, 2005 को पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से त्यागपत्र मानसिक परेशानी की हालत में दिया था और उसे बाद में 17 नवम्बर, 2005 के अपने पत्र के माध्यम से वापस ले लिया था । श्री निषाद ने राज्य सभा के सभापति से अनुरोध किया कि याचिका को अस्वीकृत कर दिया जाए क्योंकि श्रीमती स्वराज द्वारा उनके खिलाफ जिस आचरण और कृत्य को लेकर आरोप लगाए गए हैं, उसके लिए उन्हें पार्टी द्वारा पहले ही माफ किया जा चुका है जो कि पार्टी द्वारा उन्हें पार्टी की बैठकों में उपस्थित होने और उन संदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें एस.एम.एस. संदेश भेजने के पार्टी के स्वयं के कृत्यों द्वारा स्पष्ट है । पार्टी उनसे 1200 रुपए मासिक चन्दा भी लेती रही है और अंतिम बार चन्दा 10 दिसम्बर, 2005 को लिया गया था ।

5. याचिका के संबंध में श्री जसवन्त सिंह और श्री जय नारायण प्रसाद निषाद की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत तत्कालीन सभापति इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि इस मामले के स्वरूप और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस याचिका को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपना आवश्यक है और उन्होंने इस याचिका को आरंभिक जांच करने और उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 21 फरवरी, 2006 को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया ।

6. विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन मुझे 20 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दिया ।

7. इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, मैंने इसकी एक प्रति श्री जय नारायण प्रसाद निषाद को भेज दी और उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 8 जनवरी, 11 मार्च और 26 मार्च, 2008 को मेरे समक्ष उपस्थित होने के अवसर दिए किंतु वह निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित नहीं हुए ।

8. अब मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि श्री निषाद को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, राज्य सभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 7(7) के संदर्भ में, इस मामले के तथ्यों, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए और भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 102 (2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्णय लेता हूँ और घोषणा करता हूँ :--

"आदेश

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्रफ 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102 (2) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मोहम्मद हामिद अंसारी, सभापति, राज्य सभा एतद्द्वारा निर्णय लेता हूँ कि बिहार राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य, श्री जयनारायण प्रसाद निषाद द्वारा भारतीय जनता पार्टी, जोकि उनका मूल राजनीतिक दल है, की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दिए जाने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1)(क) के निबंधनों के अनुसार राज्य सभा का सदस्य बने रहने से निरर्हत हो गए हैं ।

तद्नुसार, श्री जय नारायण प्रसाद निषाद तत्काल प्रभाव से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं ।"

ह/--

नई दिल्ली, मोहम्मद हामिद अंसारी

26 मार्च, 2008 सभापति, राज्य सभा

विवेक कुमार अग्निहोत्री, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2008

No. RS. 46/2005-T.—The following decision dated the 26th March, 2008 of the Chainnan, Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

Shrimati Sushma Swaraj, Member, Rajya Sabha, filed before the then Chairman, Rajya Sabha Shri Bhairon Singh Shekhawat, a petition dated December 22, 2005, under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution and rule 6 of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985, praying that the Chairman, Rajya Sabha, be pleased to hold that Shri Jai Narain Prasad Nishad, Member, Rajya Sabha, stands disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution of India and also declare his seat in the Rajya Sabha vacant.

2. The then Chairman forwarded copies of the petition and the annexures thereto to Shri Jai Narain Prasad Nishad and Shri Jaswant Singh, the Leader of Bharatiya Janata Party in Rajya Sabha and Leader of the Opposition, Rajya Sabha, under rule 7(3) of the said Rules, on January 5, 2006, requesting them to forward their comments on the petition to him within seven days from the receipt of the same.

3. Shri Jaswant Singh in his comments dated the 9th January, 2006, agreed with the contention of the petitioner and contended that Shri Jai Narain Prasad Nishad, who had been elected to the Rajya Sabha from the State of Bihar as a candidate of the Bharatiya Janata Party resigned voluntarily from it. Even if Shri Nishad had not formally resigned from the party, his conduct with regard to his campaigning against the party, could be in itself a sufficient evidence to prove that he has voluntarily given up the membership of the Bharatiya Janata Party and, therefore, deserves to be disqualified.

4. Shri Jai Narain Prasad Nishad in his comments dated the 12th January, 2006 disagreed with the charges made against him. He, *inter alia*, stated that he had tendered his resignation from the primary membership of the party on the 18th October, 2005 in an agitated mental condition, which he later withdrew by his letter dated the 17th November, 2005. Shri Nishad requested the Chairman, Rajya Sabha that the petition be dismissed as the conduct and acts as alleged against him by Shrimati Swaraj were condoned by the Party as is evident by its own actions such as issuing him SMS messages for attending party meetings or to act according to those messages. The party also continued to take from him a monthly subscription of Rs.1200/- and the last subscription was taken on the 10th December, 2005.

5. After considering the comments of Shri Jaswant Singh and Shri Jai Narain Prasad Nishad in relation to the petition, the then Chairman was satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it was necessary to refer the petition to the Committee of Privileges of Rajya Sabha and he referred the petition to the Committee of Privileges on February 21, 2006 for making a preliminary inquiry and submitting a report to him.

6. The Committee of Privileges submitted its Report to me on November 20, 2007.

7. On receipt of the report, I forwarded a copy thereof to Shri Jai Narain Prasad Nishad and gave him opportunities to appear before me on January 8, March 11 and 26, 2008 to represent his case and to be heard in person but he did not appear on the scheduled date and time.

8. Now that I am satisfied that reasonable opportunities were given to Shri Nishad to represent his case and to be heard in person, in terms of Rule 7 (7) of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985, taking into account the facts of the case, the Report of the Committee of Privileges and in

accordance with the provisions of Article 102(2) read with the Tenth Schedule to the Constitution of India, I decide and declare by this order as follows :—

"ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under Article 102(2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, I, Mohammad Hamid Ansari, Chairman, Rajya Sabha, hereby decide that Shri Jai Narain Prasad Nishad, an elected member of the Rajya Sabha from the State of Bihar, by voluntarily giving up his membership of the Bharatiya Janata Party, his original political party, has become subject to disqualification for being a member of the Rajya Sabha in terms of paragraph 2(l)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

Accordingly, Shri Jai Narain Prasad Nishad has ceased to be a member of the Rajya Sabha with immediate effect."

Sd/-

New Delhi :
26th March, 2008

MOHAMMAD HAMID ANSARI
Chairman, Rajya Sabha

V. K. AGNIHOTRI, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.